(ग) बी०एच०ई०एल० को अब तक दिये गये ठेके का मूल्य 17.23 करोड़ रुपये है, जिसमें 1650 लाख रुपये उपकरणों (वर्क्स के लिए) की सप्लाई के लिए और 73 लाख रुपये की लागत से इंजीनियरी और परियोजना प्रबंध शामिल है। टर्बो जनरेटरों और बायलरों के संस्थापन, चालू करने और परीक्षण के संबंध में ठेका अभी तय किया जाना है। उपर्युक्त में किसी भी खरीदी हुई वस्तु जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, वैद्युत, कन्ट्रोल्स और इन्स्ट्रूमेंटेशन, ई० ओ०टी० क्रेन आदि का मूल्य शामिल नहीं है।

विवरण

फर्म का नाम	सम्पूर्ण काम के लिए उद्धृत मूल्य (लाख रु० में)
1. मे० नेशनल इंजीनियर्स इन्डस्ट्राइज, अलीगढ़। .	49.105
2. मे० सिंह यूनाइटेड इंजी० एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, नई दिल्ली । .	50.63
3. मे० सह्याद्री कन्स्ट्रक्टर्स (प्रा०) लिमिटेड, पुणे (मे० वेस्टर्न इण्डियन इरेक्टर्स की सहायक कंपनी)। . .	53.07
4. मे० गैमन इण्डिया लिमिटेड, बम्बई .	54.839
5. मे० डेयरी अश्मोर (आई) लिमिटेड बंगलौर। .	56.181
6. मे० डोवल इरेक्टर्स, मद्रास । . .	56.73
7. मे० कैसल पावर इंजीनियर्स, कलकत्ता। .	57.95
8. मे० गंगा इंजीनियर्स वर्क्स नई दिल्ली । . .	59.98
9. मे० डोडसाल (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई। .	62.525
10. मे० पावर प्लांट एण्ड इण्डस्ट्रियल इक्विपमेंट कम्पनी, बड़ौदा। .	59.78

आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन को पुनः मान्यता दिया जाना

8312. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन को दी गई मान्यता वापस ले ली गई है और इस समय वहां कोई भी मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है;

(ख) क्या आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन ही स्टाफ आर्टिस्टों का एक ऐसा संगठन है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव कराये थे और जिसमें सदस्यों की सबसे अधिक संख्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस यूनियन को पुनः मान्यता देने का है या उसका विचार किसी अन्य संगठन या यूनियन को मान्यता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से परामर्श करने का है ताकि उनकी समस्याएं हल की जा सकें?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। ए०आई० आर० स्टाफ आर्टिस्ट्स यूनियन का पंजीकरण रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन्स, दिल्ली द्वारा मार्च, 1976 मे समाप्त कर दिया गया था। पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद उसकी मान्यता भी स्वतः रद्द हो गई। इस समय आकाशवाणी मे स्टाफ आर्टिस्टो की कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नही है।

(ख) इस संबंध मे सरकार के पास कोई सूचना नही है।

(ग) ए०आई०आर० स्टाफ आर्टिस्टस यूनियन (जिसका पुनः पंजीकरण किया गया था), सहित आकाशवाणी मे स्टाफ आर्टिस्टो की तीन पंजीकृत ट्रेड यूनियने है। इन तीनो ट्रेड यूनियनो ने मान्यता के के लिए आवेदन किया हैं। क्योकि ये सभी मई–जून 1977 की अवधि मे रजिस्टार आफ ट्रेड यूनियन्स द्वारा पंजीकृत की गई थी और मान्यता के लिए विचार किये जाने के लिए पंजीकरण के बाद एक वर्ष पूरा करना अनुशासन संहिता के अंतर्गत पूर्वापेक्षित शर्त है, अतः मान्यता के प्रश्न पर जुलाई, 1978 के बाद ही विचार किया जायेगा।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टो की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उनकी सभी प्रतिनिधि एसोसिएशनो को सरकार से परामर्श करने का अवसर दिया गया है।

राजभाषा क्रियान्वयन समिति

8313. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग के राजभाषा क्रियान्वयन समिति गठित की गई है,

(ख) यदि हां, तो 1977 में इस समिति की बैठकें किन-किन तारीखो को हुई और उनमे क्या-क्या निर्णय किये गये,

(ग) उनमे से कितने निर्णयो को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है, और

(घ) शेष निर्णयो के क्रियान्वयन मे विलम्ब करने के क्या कारण है?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) गृह मंत्रालय कार्मिक विभाग तथा प्रशासन सुधार विभाग मे राजभाषा कार्यान्वयन समितियो का गठन हो चुका है।

(ख). से (घ) प्रशासनिक सुधार विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की, 1977 मे दो बैठके दिनांक 13-5-77 और 19-12-77 को हुई थी और उनमे लिये गये निर्णयो तथा उन पर की गई कार्यवाई का पूरा ब्योरा विवरण मे दर्शाया गया है। जो सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल टी–2197/78] गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग की समितियो की बैठके 1977 मे नही की जा सकी और अब दोनो समितियो की बैठक 29-4-1978 को हो रही है।

Take over of Fatka Hard Coke Bhatta in Nirsa, Dhanbad

8314. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state

(a) whether the management of the ECL has written to the Energy Ministry for taking over Selected Fatka Hard Coke Bhatta in its Nirsa Mugma Zone, Dhanbad, by settling the disputes with the erstwhile employer,

(b) whether the erstwhile owner of Bhatta has agreed to withdraw from contesting in the court; and